उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
संख्या–2458/71–2–2011–पी–14/96
लखनऊ दिनांकः– 14 जुलाई, 2011

कार्यालय ज्ञाप

मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम–1994 एवं सुसंगत नियमावली के प्रविधानों के क्रियान्वयन/प्रवर्तन हेतु मानव अंग प्रत्यारोपण नियमावली–1995 संशोधित–2008 के प्रस्तर–6 के प्राविधानों के अन्तर्गत जिला स्तरीय प्राधिकरण समिति निम्नवत् गठित की जाती हैः–

1.	जिलाधिकारी (प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा नामित प्रतिनिधि)	अध्यक्ष
2.	मुख्य चिकित्साधिकारी	संदस्य सचिव
3.	उप मुख्य चिकित्साधिकारी (महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा नामित प्रतिनिधि)	सदस्य
4.	दो वरिष्ठ मेडिकल प्रैक्टिसनर (संबंधित जिले के निवासी चिकित्सकों के पूल में से, जो मानव अंग प्रत्यारोपण टीम के सदस्य नहीं होंगे, चयन किया जायेगा)	सदस्य
5.	दो वरिष्ठ नागरिक(एक महिला) संबंधित जिले के अचिकित्सकीय पृष्ठ भूमि के उच्च स्तरीय ख्याति प्राप्त एवं सत्यनिष्ठ व्यक्ति जो राजकीय उच्च न्यायायिक सेवा/पुलिस सेवा के वरिष्ठ संवर्ग में सेवा किये हों, अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के रीडर/प्रोफेसर के रूप में सेवा किये हों अथवा स्वरोजगार से संबंधित ख्याति प्राप्त वकील, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन का चिकित्सक आदि के पूल में से चुने जायेंगे।	सदस्य

उक्त समिति मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम–1994 एवं मानव अंग प्रत्यारोपण नियमावली–1995 यथा संशोधित–2008 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेगी। सदस्य सचिव द्वारा मानव अंग प्रत्यारोपण से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण हेतु समिति की बैठक आयोजित कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

कपिल देव
प्रमुख सचिव

संख्या–2458(1)/71–2–2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त कमेटी के बिन्दु संख्या–4 एवं 5 में उल्लिखित सदस्यों को नामित किये जाने हेतु अपने जिले के लिए सदस्यों के नामों का पूल/विवरण/प्रस्ताव एक सप्ताह में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ ।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0 लखनऊ
5. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त उप मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तर प्रदेश।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिवराम त्रिपाठी)
अनु सचिव